आचार संहिता

OVS कारखाने की कार्य दशाओं में सुधार और उत्पादन स्थलों के आर्थिक विकास में योगदान देते हुए पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए व्यवसाय के प्रभावी समर्थन के साझा उद्देश्यों पर आधारित आपूर्ति के संबंध स्थापित करने का इरादा रखता है। इस आचार संहिता का लक्ष्य पारदर्शिता के साथ.साथ पर्यावरणीय और सामाजिक संपोषणीयता के संबंध में आपूर्तिकताओं की पद्धतियों के निरंतर सुधार का प्रयास करते हुए उनकी कुछ खास बाध्यकारी अपेक्षाओं की व्याख्या करना है।

कर्मचारी

2.1 OVS आपूर्तिकर्ता केवल उन कामगारों को नियोजित कर सकते हैं जो ILO के कन्वेंशन सं. 138 और 142 के अनुसार स्थानीय कानून के अनुसरण में रोजगार में आने की न्यूनतम आयु पूरी कर चुका हो।

2.2 वैध न्यूनतम आयु से लेकर १८ वर्ष की आयु के बीच के सभी युवा कामगारों को रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए उन्हें खतरनाक कार्यो समयोपरि अवधि या रात की पालियों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। कार्य की गतिविधियों से न तो उनकी शिक्षा या स्वास्थ्य और न ही उनका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास में बाधा नहीं पड़नी चाहिए।

3.1 OVS के आपूर्तिकर्ताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार के बलात श्रम का उपयोग कतई नहीं करना चाहिए। इनके बीच धमकाकर काम सहमति न देने वाले कैदियों के उपयोग ऋणों का भुगतान करने के लिए तथाकथित सुमंगली स्कीम और बंधुआ श्रमिकों का उपयोग विशेषतया मना है।

3.6 नियोक्ता कामगारों की पहचान के दस्तावेजों को नहीं रख सकते हैं।

4.3 विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित है, भेदभाव किसी भी संभावित गर्भावस्था से जुड़ा हुआ है (जैसे गर्भावस्था भर्ती के दौरान परीक्षण अनुरोध और / या मनोवैज्ञानिक दबाव और / या रोजगार संबंध के दौरान) की मनाही है।

5.1 OVS के आपूर्तिकर्ताओं को अपने कामगारों को अपनी पसंद के किसी भी मजदूर संघ या एसोसिएशन में शामिल होने तथा अपने प्रचालन वाले देश में कानूनी मान्यता प्राप्त स्वरूपों में सामूहिक सौदेबाजी के करारों में भाग लेने के अधिकार की गारंटी अवश्य देनी चाहिए।

6.3 OVS के आपूर्तिकर्ताओं को कामगारों को साधारण और समयोपरि मजदूरी के माध्यम से उचित वेतन अवश्य देना चाहिए जिसका भुगतान स्थानीय कानूनों और किसी मौजूद सामूहिक करार के अनुसार समयबद्ध रूप में किया जाना चाहिए। सभी कामगारों को स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भुगतान चेक अवश्य मिलना चाहिए।

6.5 समयोपरि घंटों की व्यवस्था अवश्य सहमति के साथ की जानी चाहिए तथा साधारण काम से अधिक वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। कर्मचारी प्रत्येक सात दिन के बाद न्यूनतम २४ घंटे के लगातार विश्राम के हकदार हैं।

7.2 सभी कामगारों को कार्य का सुरक्षित और स्वस्थ स्थल अवश्य मिलना चाहिए वातावरण का तापमान और वायु.निकासी वर्ष के सभी मौसमों में अवश्य पर्याप्त होने चाहिए कार्य के सभी घंटों के दौरान की जाने वाली गतिविधि के संबंध में प्रकाश की व्यवस्था अवश्य उपयुक्त होनी चाहिए सफाई प्रबंध की सेवाएं स्वच्छ और मौजूद कामगारों के लिए पर्याप्त संख्या में तथा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग होनी चाहिए। कामगार अनुचित प्रतिबंधों के बिना उपर्युक्त तक पहुँच बनाने में अवश्य समर्थ होने चाहिए।

7.9 OVS के आपूर्तिकर्ताओं को स्थानीय कानूनों और उद्योग के मानकों की अपेक्षा के अनुसारए कामगारों के लिए मुफ्त में निजी रक्षा के उपयुक्त उपकरण अवश्य उपलब्ध कराने चाहिए। सभी कामगारों को कार्य के समय के दौरान अनिवार्य रूप से रक्षात्मक उपकरण का उपयोग अवश्य करना चाहिए।

7.11 उन देशों में जहाँ कार्यस्थल में दुर्घटनाओं से कामगारों की सुरक्षा करने के लिए सरकारी सुरक्षा संगठन हैं वहाँ आपूर्तिकर्ताओं को कार्य के समयों के दौरान घटित होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए चिकित्सा व्ययों का भुगतान अवश्य करना चाहिए।

पर्यावरण

9.1 OVS के आपूर्तिकर्ताओं को अपनी गतिविधियाँ चलाए जाने वाले देश में पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।

10.3 रसायनों के डिब्बों को चेतावनी के लेबल द्वारा अवश्य चिह्नित किया जाना चाहिएए तथा इसके साथ डेटा पत्रक और उपयोग हेतु स्पष्ट अनुदेश दिए जाने चाहिए। रसायनों के संभावित रूप से छलक जाने से बचाव करने तथा किसी दुर्घटनात्मक क्षति की रोकथाम के लिए बाधाओं द्वारा सुरक्षा करने के लिए डिब्बों को अच्छी दशा में रखा जाना चाहिए। इन पदार्थों के उपयोग के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों को इनके उचित उपयोग के संबंध में समय-समय पर अवश्य प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

11.2 खतरनाक अपशिष्ट का काम करने वाले कामगारों को उन दशाओं में डालना चाहिए जिससे वे खतरनाक अपशिष्ट से जुड़े जोखिमों को समझें तथा इनके अनुचित प्रबंधन द्वारा होने वाली हानि से स्वयं की और वातावरण की रक्षा करें।

पारदर्शिता

17.1 आपूर्तिकर्ता किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारए जबरन वसूली या ग़बन न करने या सहन न करने के लिए उत्तरदायी हैं। वे अपने व्यावसायिक साझेदारों को गैर-कानूनी प्रोत्साहन की पेशकश नहीं कर सकते हैं या उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते हैं। OVS के आपूर्तिकर्ताओं को अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल में संदिग्ध असामान्यताओं या संभावित अवैध गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए आवश्यक साधन अवश्य उपलब्ध कराने चाहिए।

20.2 यदि कोई आपूर्तिकरता संहिता के किसी तत्व का पालन नहीं करता हैए-तो इसकी रिपोर्ट ई.मेल द्वारा sustainability@ovs.it पर की जा सकती है। OVS संहिता के किसी भी उल्लंघन की सभी रिपोर्टों स्थानीय NGOs सहितको गंभीरता और पारदर्शिता से स्वीकार करने तथा पहचाने गए उल्लंघनों के लिए यथा उपयुक्त प्रतिबंधों को सत्यापित करने और इन्हें लगाने के लिए वचनबद्ध है। प्राप्त सूचना के साथ.ही सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

For more information visit **wecare.ovscorporate.it/en/**

Use the QR Code to download the full version of the Code of Conduct

OVS | #wecare